न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00266 (2019/123) **दायरा दिनांक : 06.12.2019**

उनवान

1. पन्ना लाल आयु 71 साल आत्मज बरदा, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
2. शंकरलाल आयु 68 साल आत्मज बरदा, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
3. नरबदी बाई आयु 64 साल पुत्री बरदा, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
4. पानी बाई आयु 61 साल पुत्री बरदा, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. छीतर आयु 61 साल आत्मज कंवरिया, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
2. हीरा लाल आयु 56 साल आत्मज कंवरिया, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
3. बाल्या आयु 51 साल आत्मज कंवरिया, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
4. काली बाई आयु 69 साल पुत्री कंवरिया, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
5. गुलाब बाई आयु 46 साल पुत्री कंवरिया, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
6. चैन सिंह आत्मज छीतरलाल, जाति लोधा, निवासी गादिया मेहर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सुदामा राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.06.2025**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 64/2018 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 91, 92ए, 88, 89, 63, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 125 व 135 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम गादिया मेहर, पटवार हल्का खेडला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डूंगरगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड में नई खेवट संख्या 29 पुरानी 24 की कृषि आराजीयात खसरा नं. 22/361 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 33/375 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 151/412 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 152/414 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 154/416 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 200/427 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 204/426 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 209/426 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 219/443 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 284/471 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 10 कल रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2019 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 22.02.2018 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये थे। अगली पेशी दिनांक 22.03.2018 दी गई। प्रकरण में आगामी कई पेशीयों तक पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। प्रकरण में अपीलान्ट के सम्मन की तामील को नहीं देखा गया तथा इस बाबत कोई आदेश भी नहीं दिया गया, प्रकरण को सीधे ही बहस में निश्चित कर दिया प्रकरण का दिनांक 08.01.2019 को बिना किसी आधार के निर्णय व डिकी कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। विवादग्रस्त आराजी बरदा व कंवरिया के दादा नाथू के खातेदारी की आराजी थी, विवादग्रस्त नाथू के पुत्र देवा के र्स्वगवास के बाद उत्तराधिकार के आधार अपीलान्ट के खातेदारी में लगी है, देवा की पत्नी रामी बाई के नाम विवादग्रस्त आराजी सही रुप में आयी थी। रामी बाई के र्स्वगवास के बाद रामी बाई के उत्तराधिकारीगण अपीलान्ट्स के नाम विवादग्रस्त आराजी सही रुप में आयी है। अपीलान्ट उत्तराधिकार के आधार पर विवादग्रस्त आराजी के वास्तविक स्वामी व खातेदार कृषक हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। विवादग्रस्त आराजी देवा की थी विवादग्रस्त

(दीप्ति प्रमचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी को बरदा व कंवरिया के बराबर मिलनी थी, विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा कंवरिया के खाते लग गया तथा 1/2 हिस्सा बरदा को मिलना था लेकिन विवादग्रस्त आराजी रामी बाई का 1/2 हिस्सा दर्ज हो गयी थी, अपीलान्ट्स ही रामी बाई के एक मात्र उत्तराधिकारी है तथा 1/2 हिस्सा अपीलान्ट्स ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इस कारण रामी बाई के उत्तराधिकारीगण अपीलान्ट्स का विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा को कम नहीं किया जा सकता है इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। वादीगण के द्वारा सभी खातेदारान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, इस प्रकार वाद में आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार नहीं बनाने के कारण दावा वादी काननून मेंनटेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय एवं डिकी पारित की है तथा कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। खातेदार अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। अपीलान्ट्स की कोई सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं की गई, लेकिन खातेदार अपीलान्ट्स को सुने बिना ही अपीलान्ट्स का नाम विलोपित कर निर्णय व डिकी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित कर दी गई है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय एवं डिकी पारित की है तथा कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट्स नम्बर 01 लगायत 05 के द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया इस दावे के सम्मन की अपीलान्ट्स (प्रतिवादीगण) की तामील नहीं हुई तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा भी नहीं किया गया। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट को देखने से भी स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स (प्रतिवादीगण) तामील नहीं होते हुए भी प्रकरण की बिना किसी भी आधार के निर्णय एवं डिकी पारित कर दी, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय एवं डिकी पारित की है तथा कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई व जवाबदेही का उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय एवं डिकी पारित कर दी जो कि अवैधानिक है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। वादिनी ने दावे में विवादग्रस्त आराजी के खातेदारान का शजरा खानदान के बारे में कोई विवरण अंकित नहीं किया है। वादीगण ने तथ्यों को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

छुपाकर दावा प्रस्तुत किया है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया; इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। वादीगण ने आराजी हड़पने के लिये अपीलान्ट्स के विरुद्ध झूठा दावा पेश किया है, यह तथ्य जमाबन्दी देखने से ही स्पष्ट हो जाता है, इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। अपीलान्ट्स की बहन मथरीबाई ने वादी छीतर के पुत्र चैनसिंह को विवादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी का बेचान किया है। इस प्रकार वादीगण विवादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट्स के हिस्से को स्वीकार करते हैं, यह तथ्य जमाबन्दी देखने से ही स्पष्ट हो जाता है, इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की। अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलान्ट को जवाबदेही प्रस्तुत करने का तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.01.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई का पूर्ण व उचित अवसर प्रदान फरमाया जावे तथा अपीलान्ट्स को जवाबदेहीं का व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण व उचित अवसर प्रदान फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.10.2019 को हुई। जामकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 ने दावा किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की तामील, एक तरफा कार्यवाही नहीं की गई, सीधे साक्ष्य वादी लेकर निर्णय पारित कर दिया गया। हमें अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी नाथू के खातेदारी की थी। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेंट का 1/2 – 1/2 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी कम किया जो गलत है। सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट को तामील विधिवत नहीं करवायी, सुनवायी व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर देने हेतु रिमाण्ड किा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि चतरा की मृत्यु हुई उसके बाद हमने चतरा की आराजी नहीं ली और केवल रामीबाई की आराजी ली। रामीबाई की मृत्यु के बाद उसकी 1/2 आराजी भी अपीलांट द्वारा चाही जा रही है। पूर्व बंटवारे से रामीबाई व कमोडिया के नाम 15 बीघा आराजी थी। रामीबाई की मृत्यु के बाद उसके 1/2 हिस्से में से इंतकाल खुलवा लिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 द्वारा अन्तर्गत धारा 91, 92ए, 88, 89, 63, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 125 व 135 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम गादियामेर तहसील असनावर की जमाबंदी सवंत 2070–2073 नई 29 पुरानी 24 की कुल किता 10 कुल रकबा 15.01 बीघा दर्ज है। उक्त आराजियात में वादीगण का नाराणी बाई का बहिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 एवं मथरी बाई के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी गयी है। जबकि यह आराजियात कंवरिया आ0 चतरा एवं रामीबाई बेवा देवा के नाम बहिस्सा बराबर से दर्ज था कंवरिया की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्से पर रामीबाई का नाम दर्ज हुआ। रामीबाई की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज होना था और सम्पूर्ण आराजियात केवल कवंरिया के वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होनी थी क्योंकि बरदा आत्मज चतरा या उसके वारिसान का इस आराजियात से कोई संबंध नहीं था। बरदा आत्मज चतरा के पूर्व में नामान्तरण संख्या 55 से 15 बीघा 01 बिस्वा आराजी अकेले उसकी खातेदारी में दर्ज

(दीप्ति [signature] मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हो रही है तथा उस पर बरदा के वारिसान के नाम भी अंकित हो रहे है। अतः वादग्रस्त आराजियात पर रामीबाई की मृत्यु के बाद पटवारी और सरपंच से मिलकर दूषित प्रक्रिया के द्वारा बरदा के वारिसान का 1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया। अतः उक्त आराजियात 15.01 बीघा में 19/20 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे प्रतिवादीगण 1 लगायात 4 के नाम व मथरीबाई के नाम हटाये जाकर वादीगण का नाम बहिस्सा 19/20 तथा प्रतिवादी नं. 5 चैनसिंह का बहिस्सा 1/20 दर्ज करने के आदेश प्रदान करे तथा प्रतिवादी क्रम 1 ल0 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2019 में अपने निर्णय में अंकित किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गादियामेर तहसील असनावर की जमाबंदी संवत 2070–2073 का खाता संख्या नया 29 पुराना 24 में पन्नालाल–शंकरलाल पिता बरदा मथरी बाई–नरबदी बाई–पानीबाई पुत्रिया बरदा हिस्सा 1/4 की प्रविष्टियों को विलोपित करते हुए ग्राम गादियामेर की जमाबंदी 2070–2073 का खाता संख्या नया 29 पुराना 24 को निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है

छीतरलाल–हीरा–बाल्या पिता कंवरिया गुलाबबाई–कालीबाई पुत्रिया कंवरिया (हिस्सा बराबर) जाति लोधा सा. देह खातेदार नामान्तरकरण संख्या 300 से रहन भूमि छीतर, गुलाब, कालीबाई, सीबीआई शाखा झालरापाटन भूमिधारी तहसीलदार असनावर राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में नियमानुसार आवश्यक अंकन करे।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादीगण नं. 1 लगायात 4 द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई है। जिसमें अपीलांटगण द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री को रिमाण्ड की जावे तथा अपीलांट्स को सुनवाई का पूर्ण व उचित अवसर प्रदान फरमाया जावे तथा अपीलांट को जवाबदेही का व दस्तावेजी व मौखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण व उचित अवसर प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.02.2018 को वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब करने के आदेश देते हुए पत्रावली में आगामी तारीख 28.03.2018 नियत की गई, परन्तु प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी नोटिस सम्मन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नहीं होने से प्रतिवादीगण की तामील होने की पुष्टि नहीं होती। दिनांक 26.04.2018 की आदेशिका में यह अंकित है कि प्रतिवादी नं. 5 चेन सिंह उपस्थित। चेनसिंह के हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका पर अंकित है परन्तु अन्य प्रतिवादीगण के सम्बन्ध में रिपोर्ट अंकित नहीं की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी होने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से नहीं होती। दिनांक 08.08.2018 की आदेशिका में यह अंकित किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गया है कि पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16.08.2018 को पेश हो। वादीगण की साक्ष्य के सन्दर्भ में भी पत्रावली पर कोई आदेश अंकित नहीं है। दिनांक 28.11.2018 की आदेशिका में वादी ने लिखित बहस पेश की शामिल फाईल की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.12.2018 को पेश हो यह आदेश अंकित है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विधिक प्रकिया की पालना नहीं की गई। अतः सी.पी.सी. में वाद के निस्तारण हेतु दिये गये विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2019 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार विवेचन के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधिसम्म्त निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा